मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 137/सी0आर0 27/1(3)/72 भोपाल, दिनांक 9th मार्च, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग ।

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति का गठन ।

***

विभिन्न विभागों द्वारा बनाये गए भरती नियमों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विभागीय पदोन्नति समितियों का गठन पदों के महत्व को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ, विभागाध्यक्ष का पद जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए कुछ भरती नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति में विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित किये गये है, (जैसा मध्यप्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म सेवा श्रेणी 1 तथा 2 भरती नियम, 1965) । कुछ भरती नियमों में केवल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विभाग के सचिव ही समिति में रखे गये है । इस पद के महत्व को देखते हुए तथा इस संबंध में एकरूपता लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्ष के पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नीचे लिखे अनुसार किया जाय :-

(1)	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	—	अध्यक्ष
(2)	मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव	—	सदस्य
(3)	संबंधित विभाग के सचिव	—	सदस्य

2/ अन्य राजपत्रित पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार किया जाय :-

(1)	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत आयोग का सदस्य	—	अध्यक्ष
(2)	संबंधित विभाग के सचिव	—	सदस्य
(3)	संबंधित विभागाध्यक्ष	—	सदस्य

चूंकि समिति में विभाग के सचिव तथा विभागाध्यक्ष सदस्य है, इसलिए उप सचिव या उप विभागाध्यक्ष को भी समिति का सदस्य बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ अराजपत्रित पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति में भी विभाग द्वारा तीन अधिकारी ही रखे जांय किन्तु इस समिति में नियुक्ति अधिकारी को सम्मिलित न किया जाय ।

=2=

4/ आपसे निवेदन है कि अपने भरती नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन उपर्युक्त प्रकार करें तथा भरती नियमों में भी आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाई शीघ्र करें ।

हनुमन्त राव

(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 138 /सी0आर0 27/1(3) /72 भोपाल, दिनांक 9th मार्च, 1972

प्रतिलिपि :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष

(2) सचिव, लोक सेवा आयोग , मध्य प्रदेश इन्दौर

को सूचनार्थ अग्रेषित ।

9.3.72

(म0 वि0 गर्दे)
उप सचिव